राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :—नर्सिंग/एनआरएचएम/जीएनएम /(216)/2017/ 234   दिनांकः— 28/7/17

:—संशोधित आदेशः—

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट संख्या 6207/2009 राजकुमार व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं अन्य समानान्तर याचिकाओं में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 07.12.2016 की पालना में एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पर जीएनएम रखे जाने हेतु दिनांक 04.05.2017 को जिलेवार अन्तरिम वरियता सूची जारी कर अभ्यर्थियों से संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 20.05.2017 तक आपत्तियां आमंत्रित की गई। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु गठित कमेटी द्वारा परिक्षणोपरान्त निदेशालय के आदेश क्रमांक 225 दिनांक 19.07.2017, क्रमांक 226 दिनांक 20.07.2017, क्रमांक 228 दिनांक 21.07.2017 एवं क्रमांक 232 दिनांक 27.07.2017 द्वारा कुल 25 जिलों की अंतिम वरियता सूची जारी की गई।

आपत्तियों के निस्तारण के दौरान यह ध्यान में लाया गया कि कुछ जिलों में विज्ञप्ति दिनांक 04.05.2007 व 08.08.2007 के तहत 01.01.1973 से पूर्व के जन्मे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी आयु सीमा में मानते हुए अन्तरिम सूची में सम्मिलित कर लिया गया है जबकि कुछ जिलों द्वारा 01.01.1973 से पूर्व के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ओवरऐज मानते हुए निदेशालय को प्रेषित की गई सूची मे सम्मिलित नही किया गया। इसी प्रकार विज्ञप्ति दिनांक 15.04.2008 के तहत 01.01.1974 से पूर्व के जन्मे सामान्य अभ्यर्थियों को भी आयु सीमा में मानते हुए अन्तरिम सूची में सम्मिलित कर लिया गया है जबकि कुछ जिलों द्वारा 01.01.1974 से पूर्व के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ओवरऐज मानते हुए निदेशालय को प्रेषित की गई सूची मे सम्मिलित नही किया गया।

इस संबंध में सभी प्रकरणों का परिक्षण कर यह पाया गया कि विज्ञप्ति दिनांक 04.05.2007 व 08.08.2007 में उल्लेखितानुसार 01.01.1973 से पूर्व जन्में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी तथा विज्ञप्ति दिनांक 15.04.2008 के संदर्भ में 01.01.1974 से पूर्व जन्में सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को नियमानुसार ओवरऐज माना जाना चाहिए फलस्वरुप निदेशालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 225 दिनांक 19.07.2017, क्रमांक 226 दिनांक 20.07.2017, क्रमांक 228 दिनांक 21.07.2017 एवं क्रमांक 232 दिनांक 27.07.2017 में उनके नाम के आगे उल्लेखित अभ्यर्थियों के नाम अंतिम वरियता सूची से विलोपित किये जाते है।

क्र सं	जिला	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जाति वर्ग	जिले की क्र संख्या	निदेशालय के आदेश क्रमांक व दिनांक	जन्म तिथि
1.	श्रीगंगानगर	सत्येन्द्र कुमार	हरबंश लाल	सामान्य	132	228/21.07.2017	03.10.1972
2.	झालावाड	मुकेश शर्मा	घासीलाल	सामान्य	187	225/19.07.2017	26.06.1972
3.	बीकानेर	राजेश कुमार शर्मा	छगनलाल	सामान्य	223	225/19.07.2017	01.05.1972
4.	भीलवाडा	अरुण कुमार व्यास	औमप्रकाश व्यास	सामान्य	220	228/21.07.2017	20.07.1972
5.	उदयपुर	दिनेश चन्द	गिरिराज शंकर	सामान्य	283	226/20.07.2017	15.09.1972
6.	टोंक	मोहम्मद यूसुफ	अनवर अली	सामान्य	289	225/19.07.2017	07.04.1972

Systm1/F/Vishnu/NRHM GNM Order

		एस.मोहम्मद नकवी	एस. अख्तर अली नकवी	सामान्य	405	225 / 19.07.2017	08.08.1972
7.	बांसवाडा	गिरीष कुमार दोषी	कन्हैयालाल दोषी	सामान्य	272	226 / 20.07.2017	20.06.1969
8.	सीकर	पुरुषौत्तम	छगनलाल शर्मा	सामान्य	463	232 / 27.07.2017	20.02.1971

अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :—नर्सिग / एनआरएचएम / जीएनएम / (216) / 2017 / 234 दिनांकः 28/7/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मिशन निदेशक (एन.एच.एम) एवं शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप—3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
7. परियोजना निदेशक, एन.एच.एम, मुख्यालय।
8. श्री राजेश पंवार, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
9. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं प्रभारी अधिकारी केस।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न जिलेवार सूचियां विभागीय वैब साईट पर अपलॉड करें।
12. आदेश / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर